पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 175/2018

अनवान :

1. मानसिंह पुत्र प्रभुराम जाति खाती निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. बलवीरसिंह पुत्र प्रभुराम जाति खाती निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3. सज्जन कुमार पुत्र प्रभुराम जाति खाती निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. प्रभुराम पुत्र मामचन्द जाति खाती निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. गुड्डीदेवी पुत्री प्रभुराम पति महावीर जाति खाती निवासी भिरानी हाल निवासी तलवण्डी जिला हिसार।
3. सुरस्ती पुत्री प्रभुराम पत्नी चतरसिंह जाति खाती निवासी भिरानी निवासी कालीरावणा जिला हिसार।
4. कृष्णादेवी पुत्री प्रभुराम पत्नी राजवीर जाति खाती निवासी भिरानी हाल निवासी कालीरावणा जिला हिसार।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 223/194 के मु0नं0 150 के किला नं0 19/1, 20 ता 22, 23/1 मु0नं0 151 के किला नं0 16, 24, 25 मु0नं0 160 के किला नं0 4, 5, 6/1, 7/1 मु0नं0 161 के किला नं0 1, 2, 3/1 मु0नं0 337 किला नं0 19 व 20 मु0नं0 338 के किला नं0 16 कुल 3.947 है0 बारानी खातेदारी मय रास्ता की जो कृषि भूमि प्रतिवादी प्रभुराम के नाम से दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 प्रभुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने वाद कृषि भूमि में अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वाद कृषि भूमि उपरोक्तानुसार वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.8.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 175/2018

अनवान :

1. मानसिंह पुत्र प्रभुराम जाति खाती निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. बलवीरसिंह पुत्र प्रभुराम जाति खाती निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3. राज्जन कुमार पुत्र प्रभुराम जाति खाती निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. प्रभुराम पुत्र मामचन्द जाति खाती निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. गुड्डीदेवी पुत्री प्रभुराम पति महावीर जाति खाती निवासी भिरानी हाल निवासी तलवण्डी जिला हिसार।
3. सुरस्ती पुत्री प्रभुराम पत्नी चतरसिंह जाति खाती निवासी भिरानी निवासी कालीरावणा जिला हिसार।
4. कृष्णादेवी पुत्री प्रभुराम पत्नी राजवीर जाति खाती निवासी भिरानी हाल निवासी कालीरावणा जिला हिसार।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकार्ड

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : वादीगण

वकील श्री विक्रम शर्मा : प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4

निर्णय **दिनांक : 13.8.18**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भिरानी तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 223/194 के मु0नं0 150 के किला नं0 19/1, 20 ता 22, 23/1 मु0नं0 151 के किला नं0 16, 24, 25 मु0नं0 160 के किला नं0 4, 5, 6/1, 7/1 मु0नं0 161 के किला नं0 1, 2, 3/1 मु0नं0 337 किला नं0 19 व 20 मु0नं0 338 के किला नं0 16 कुल 3.947 है0 बारानी खातेदारी मय रास्ता की कृषि भूमि प्रतिवादी प्रभुराम के नाम से दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 हिन्दू है तथा हिन्दू विधि की मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादीगण के दादा मामचन्द व उसके भाई रामजीलाल, अर्जन पिसरान श्योराम की खातेदारी हुआ करती थी। वादीगण के दादा मामचन्द व उनके भाई रामजीलाल का देहान्त हो गया है, रामजीलाल के कोई नरीना सन्तान नहीं थी जिसके चलते रामजीलाल भी वादीगण व प्रतिवादी प्रभुराम ही रामजीलाल की सेवा चाकरी किया करते थे जिसके चलते रामजीलाल ने अपनी खातेदारी की बाबत प्रतिवादी प्रभुराम व सुरजाराम के पक्ष में एक वसीयत उपपंजीयक कार्यालय भादरा में तस्दीक रजिस्टर करवा दी। रामजीलाल के देहान्त होने पर रामजीलाल की खातेदारी भी उक्त वसीयत से प्रतिवादी प्रभुराम व उसके भाई सुरजाराम के नाम दर्ज हो गई जिसका बाद में प्रभुराम व सुरजाराम ने अपना अपना खाता अलग करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादीगण एवं

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा (हनु.)

प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के संयुक्त हिन्दू परिवार की पुरानी जद्दी जायदाद है तथा वादभूमि पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।

वादीभूमि के सम्बन्ध में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था तथा कुल वादभूमि जो प्रतिवादी प्रभुराम के नाम है, वह वादीगण को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी तथा इसी अनुसार वादीभूमि पर वादीगण की कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी प्रभुराम के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल असर पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादीगण में पीडब्ल्यु 1 मानसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम भिरानी खाता सं0 223/194 सम्वत् 2070 – 73 प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी बन्दोबस्त ग्राम भिरानी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2, चित्रप्रति वसीयतनामा दिनांक 21.12.1990 प्रदर्श 3, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रामजीलाल प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 हिन्दू है तथा हिन्दू विधि की मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादीगण के दादा मामचन्द व उसके भाई रामजीलाल, अर्जन पिसरान श्योराम की खातेदारी हुआ करती थी। वादीगण व प्रतिवादी प्रभुराम ही रामजीलाल की सेवा चाकरी किया करते थे जिसके चलते रामजीलाल ने एक वसीयत उपपंजीयक कार्यालय भादरा में तस्दीक रजिस्टर करवा दी। रामजीलाल के देहान्त होने पर रामजीलाल की खातेदारी भी बाबत वसीयत से प्रतिवादी प्रभुराम व उसके भाई सुरजाराम के नाम दर्ज हो गई तथा वादभूमि पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने रोही मोजा ग्राम भिरानी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा की पुष्टि में जो प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी बन्दोबस्त ग्राम भिरानी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है उसमें वाद भूमि वादीगण के दादा मामचन्द वल्द श्योराम के नाम दर्ज है एवं चित्रप्रति वसीयतनामा दिनांक 21.12.1990 प्रदर्श 3 से रामजीलाल द्वारा अपने भतीजों के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित करवाया जाना एवं चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रामजीलाल प्रदर्श 4 से रामजीलाल की मृत्यु के बाद उक्त वसीयतनामा प्रभावी होना साबित है। जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 के अवलोकन से प्रभुराम के साथ साथ वादीगण व प्रतिवादी 2 ता 4 का भी वाद कृषि भूमि में हक हिस्सा होना साबित है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है।

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 223/194 के मु0नं0 150 के किला नं0 19/1, 20 ता 22, 23/1 मु0नं0 151 के किला नं0 16, 24, 25 मु0नं0 160 के किला नं0 4, 5, 6/1, 7/1 मु0नं0 161 के किला नं0 1, 2, 3/1 मु0नं0 337 किला नं0 19 व 20 मु0नं0 338 के किला नं0 16 कुल 3.947 है0 बारानी खातेदारी मय रास्ता की जो कृषि भूमि प्रतिवादी प्रभुराम के नाम से दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 प्रभुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने वाद कृषि भूमि में अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वाद कृषि भूमि उपरोक्तानुसार वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.8.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमारी कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़